अनुदान संख्या 76 - लोक सभा
GRANT No. 76 – LOK SABHA

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित -	*Charged -*				
मूल	*Original*	*67,00*			
			87,00	*57,62*	*-29,38*
पूरक	*Supplementary*	*20,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत -	Voted -				
मूल	Original	347,65,00			
			381,65,00	366,31,80	-15,33,20
पूरक	Supplementary	34,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				9,54,49

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के *प्रभारित* अंश में, कुल बचतें (*₹29.38 लाख*) नवम्बर, 2010 में प्राप्त किए गए *₹20.00 लाख* के पूरक *विनियोग* से अधिक हो गईं और ये कुल स्वीकृत *विनियोग* का 34 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं :-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the grant, the overall savings (*₹29.38 lakhs*) exceeded the supplementary *appropriation* of *₹20.00 lakhs* obtained in November, 2010 and constituted 34 percent of the total sanctioned *appropriation*.

Savings occurred under the following major head: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष “2011” संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल	Major Head “2011” Parliament/State/Union Territory Legislatures				
मू.	*O.*	*67.00*			
			87.00	*57.62*	*- 29.38*
पू.	*S.*	*20.00*			

(I) ''संसद - लोक सभा - अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष'' के अंतर्गत *₹67.00 लाख* के मूल *विनियोग* को *₹20.00 लाख* का पूरक *विनियोग* प्राप्त करके बढ़ाकर *₹87.00 लाख* कर दिया गया था। तथापि, *₹29.38 लाख* की बचत (पूरक *विनियोग* सहित) यात्रा और चिकित्सीय व्यय के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(I) Under "Parliament – Lok Sabha – Speaker & Deputy Speaker" – the original *appropriation* of *₹67.00 lakhs* was augmented to *₹87.00 lakhs* by obtaining supplementary *appropriation* of *₹20.00 lakhs*. However, there was a saving of *₹29.38 lakhs* (including supplementary *appropriation*) – due to requirement of less funds towards travel and medical expenses.

2. अनुदान के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹1533.20 लाख) नवम्बर, 2010 में प्राप्त किए गए ₹3400.00 लाख के पूरक अनुदान का 45 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 4 प्रतिशत थीं।

2. In the voted portion of the grant, the overall savings (₹1533.20 lakhs) constituted 45 percent of the supplementary grant of ₹3400.00 lakhs obtained in November, 2010 and 4 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major head: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
मुख्य शीर्ष "2011"	Major Head "2011"				
संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	Parliament/State/Union				
विधानमंडल	Territory Legislatures				
मू.	O.	34765.00			
पू.	S.	3400.00	37210.51	36631.80	- 578.71
पु.	R.	- 954.49			

(I) ''संसद - लोक सभा - लोक सभा में विपक्ष के नेता'' के अंतर्गत ₹26.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹10.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹36.00 लाख कर दिया गया था, जो तथापि, यात्रा और चिकित्सीय व्यय के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण ₹7.57 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(I) Under "Parliament –Lok Sabha – Leader of Opposition in Lok Sabha" – the original provision of ₹26.00 lakhs was augmented to ₹36.00 lakhs by obtaining supplementary grant ₹10.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹7.57 lakhs – due to requirement of less funds towards travel and medical expenses.

(II) ''संसद - लोक सभा सचिवालय - सचिवालय'' के अंतर्गत ₹1658.73 लाख की बचत (₹16351.38 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संसद भवन परिसर में एकीकृत सुरक्षा

(II) Under "Parliament - Lok Sabha Secretariat– Secretariat"– saving of ₹1658.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16351.38

परियोजना के लिए भारतीय इलेक्ट्रानिक निगम लिमिटेड को वार्षिक अनुरक्षण प्रभार की अदायगी गृह मंत्रालय के निदेश पर बंद करने और संसदीय वेतन समिति की सिफारिशों के अनुसार वेतन का नियतन करने में विलम्ब होने के कारण हुई।

lakhs) was due to stoppage of payment of AMC for Integrated Security Project in Parliament House Complex to Electronic Corporation of India Limited on the direction of Ministry of Home Affairs and delay in fixation of pay as per the recommendations of Parliamentary Pay Committee.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹97.85 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत थी।

(III) Under one head saving of ₹97.85 lakhs occurred constituting 11 percent of the sanctioned provision.

3. उपर्युक्त बचतें "संसद - लोक सभा - सदस्य" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - ₹298.35 लाख का अधिक व्यय (₹3390.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹20450.30 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी और वेतन के बकायों के भुगतान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

3. The above savings were partly offset by excess under "Parliament – Lok Sabha – Members"– excess of ₹298.35 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹20450.30 lakhs including supplementary grant of ₹3390.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards increase in salary and allowances of MPs and payment of arrears of salary.